



# कृषि अनुसंधान उप-केंद्र, नागौर

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)- 341001  
AGRICULTURAL RESEARCH SUB-STATION, NAGAUR  
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR (RAJASTHAN)-341001  
Phone-01582- 243134, arssnagaur1992@gmail.com


Dr. Ramdev Suthaliya  
Officer Incharge

Date: 15-05-2023

No. F.( ) /ARSS/Store/NGR/2023/45


## खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा वर्ष 2023-24 हेतु मुहरबन्द निविदा (अनुमानित लागत रुपये 3,00,000/- अक्षरे रुपये तीन लाख मात्र) आमंत्रित की जाती है इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 30.05.2023 वार मंगलवार को सुबह 12.30 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रुपये 6000/- (अक्षरे रुपये छः हजार मात्र) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर (Officer Incharge, Agricultural Research Sub-Station, Nagaur) के नाम से देय हो, दिनांक 30.05.2023 वार मंगलवार को दोपहर 01.30 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के कार्यालय में जमा करवा सकते है निविदा उसी दिन 30.05.2023 वार मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे के बाद खोली जायेगी निविदा प्रपत्र व शर्तों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट [www.aujodhpur.ac.in](http://www.aujodhpur.ac.in) अथवा राजस्थान राज्य लोकसेवा उपापन की वेब साईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित/संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा

  
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन किया जाता है कि उक्त समय पर आप अपना प्रतिनिधि भिजवाने की कृपा करावें।
- 2- श्रीमान निदेशक अनुसंधान, अनुसंधान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- 3- श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान जोधपुर, मण्डोर, कृषि अनुसंधान केन्द्र,
- 4- श्रीमान कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- 5- नोडल अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, वेबसाइट से निवेदन है की इस निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये
- 6- सूचना पट्ट, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर/कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर-जोधपुर

  
प्रभारी अधिकारी



# कृषि अनुसंधान उप-केंद्र, नागौर

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)- 341001

AGRICULTURAL RESEARCH SUB-STATION, NAGAUR

AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR (RAJASTHAN)-341001

Phone-01582- 243134, arssnagaur1992@gmail.com

Dr. Ramdev Suthaliya


Officer Incharge

## हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2023-24)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2023-24 / सं. 01
निविदा क्रम संख्या	No.F()/ARSS/NGR/Store/2023/45 Dated:15-05-2023
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / -रूपये
	रसीद संख्या:.....दिनांक:-.....
निविदा वर्ष	2023-24 (खरीफ 2023, वर्षा आधारित)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ-2023 (15 जून 2023 से नवम्बर, 2023 तक)
अनुमानित लागत	रु. 300000 / -
परिशिष्ट संख्या - एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या - दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	15.05.2023 से 30.05.2023 को सुबह 12:30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	30.05.2023 को दोपहर 01:30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	30.05.2023 दोपहर 02.30 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर
पत्राचार हेतु पता	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर -341001

नोट:- धरोहर राशि कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 30.05.2023 दोपहर 1.30 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड, बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर (Officer Incharge, Agricultural Research Sub-Station, Nagaur) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:-निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-

  
प्रभारी अधिकारी

परिशिष्ट-1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2023-24)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	No.F()/ARSS/NGR/Store/2023/45 Dated:15-05-2023
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2023-24 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ-2023 (15 जून 2023 से नवम्बर, 2023 तक)
निविदादाता का नाम व पता	..... ..... ..... दूरभाष नं.....
धरोहर राशि का विवरण	रूपये 6000/- (अक्षरे रूपये छः हजार मात्र) (रोकड़/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं..... दिनांक..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम..... शाखा.....

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर वर्ष 2023-24 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार में दाना/बीज उपज में निविदादाता/ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर की हिस्सेदारी :-

क्र.सं.	मौसम / वर्ष	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	खरीफ 2023 (अनुमानित क्षेत्रफल 25.0 हेक्ट.)		



हस्ताक्षर-निविदादाता (ठेकेदार)  
निविदादाता का नाम.....  
पता.....

## परिशिष्ट-2

### हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर "हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 30-05-2023 दोपहर 01.30 बजे तक देय" तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा बॉलप्वाइंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसमें खरीफ-2023 ऋतु के लिए अनुमोदित की गई दरें उक्त ऋतु की समय अवधि लिए ही मान्य होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. निविदा के साथ 6000/- रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक, जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर (Officer Incharge, Agricultural Research Sub-Station, Nagaur) के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चेक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे संबंधी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा। परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
7. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति उप केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात् बुवाई से लेकर फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
8. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा, परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
9. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर खरीफ वर्षा आधारित है।
10. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएँ जैसे निराई-गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

11. निराई-गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।
12. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
13. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई-गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
15. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।
16. फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
17. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
19. निविदादाता को उप केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
20. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर को होगा।
21. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर निविदादाता को प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
22. फार्म कार्य हेतु आवश्यक हाथ औजार जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।
23. निविदादाता को 2023-24 के ऋतु में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त ऋतु की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।
24. फार्म पर उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस उप केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो उप केन्द्र, उसे उपज जमा कराने के तुरंत पश्चात् नागौर कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में



देय है, की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतंत्र होगा।

25. बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे का 90 प्रतिशत हिस्सा ठेकेदार का होगा एवं 10 प्रतिशत हिस्सा उप केन्द्र का होगा। लेकिन ठेकेदार चारे को दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही ले जा सकेगा।
26. अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
27. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑविप्पेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
28. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत/स्तगित/ निरस्त व निविदा की अवधि को बढ़ाना व कम करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता/ ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रभारी अधिकारी/  
हस्ताक्षर मय सील

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1.

2.

3.

4.

5.